**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 396

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु**

**नियमों का सरलीकरण**

396. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार विद्यालयों को मान्यता देने के नियम को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में उल्‍लेख है कि छह से चौदह वर्ष तक आयु के प्रत्‍येक बच्‍चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक समीप के स्‍कूल में नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अधिनियम समीप के किसी स्‍कूल में प्रत्‍येक बच्‍चे के नि:शुल्‍क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए 'संबंधित सरकार' और 'स्‍थानीय प्राधिकार' को उत्‍तरदायित्‍व देता है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 18 में स्‍कूल के लिए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मानकों की पूर्ति और संबंधित सरकार या स्‍थानीय प्राधिकरण से 'मान्‍यता प्रमाणपत्र' प्राप्‍त करना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम के तहत संबंधित सरकार के रूप में परिभाषित सभी राज्‍य और संघ राज्‍य सरकार अपने संबंधित राज्‍य आरटीई नियमों के माध्‍यम से आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रहे हैं। याचिका समिति (16वीं लोक सभा) ने सिफारिश की है कि सरकार 'मान्‍यता प्रमाणपत्र' की प्रक्रिया को व्‍यवस्थित करें और इसे अधिक पारदर्शी बनाएं ताकि उसकी व्‍याख्‍या और कार्यान्‍वयन से उठने वाली किसी अस्‍पष्‍टता को दूर किया जा सके। इस मंत्रालय ने मार्च, 2018 में इस बात पर जोर दिया कि राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र सरकार आरटीई अधिनियम के उपर्युक्‍त प्रावधान का प्रभावी कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करें और स्‍कूलों को मान्‍यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली बनाएं।